



कार्यालय महाप्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
OFFICE OF GENERAL MANAGER
NORTH EASTERN RAILWAY
GORAKHPUR.

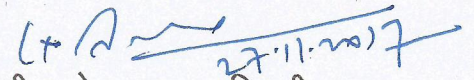
सं०-प्र/आरटीआई० एक्ट-2005/09

दिनांक 27.11.17

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवेदन एवं शुल्क जमा करने का नियम।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन मुख्यालय गोरखपुर से सम्बन्धित मामलों में लोक सूचना अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के नाम तथा पूर्वोत्तर रेलवे के मण्डलों में क्रमशः लोक सूचना अधिकारी इज्जतनगर, लखनऊ तथा वाराणसी (जो लागू हो) के नाम होना चाहिए।
2. आर०टी०आई० एक्ट-2005/आर०टी०आई० नियम-2012 के प्रावधानों के अनुरूप आर०टी०आई० आवेदन के साथ 10/- रुपये का निर्धारित शुल्क रेलवे कैश रसीद/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में निम्न अनुसार होना चाहिए-

क्र०सं० (S.N.)	मुख्यालय/मण्डल (Head Qr./ Div.)	शुल्क भुगतान करने का तरीका (Mode of Payment)	स्थान जहाँ देय है (Payable at)
1.	गोरखपुर मुख्यालय	"वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे"/"Financial Advisor & Chief Accounts Officer, N.E.Railway" के पक्ष में रेलवे कैश रसीद/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर	गोरखपुर
2.	वाराणसी मण्डल	"वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे"/"Financial Advisor & Chief Accounts Officer, N.E.Railway" के पक्ष में रेलवे कैश रसीद/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर	वाराणसी
3.	इज्जतनगर मण्डल	"वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे"/"Financial Advisor & Chief Accounts Officer, N.E.Railway" के पक्ष में रेलवे कैश रसीद/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर	इज्जतनगर
4.	लखनऊ मण्डल	"वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे"/"Financial Advisor & Chief Accounts Officer, N.E.Railway" के पक्ष में रेलवे कैश रसीद/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर	लखनऊ


केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।